न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 209/2025/अपील/गुण्डा निय0 अधि0/कोटा
दायरा दिनांक : 02.07.2025
अन्तर्गत धारा : 6(1) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

उनवान

समीर विश्वास पुत्र सुरेन्द्रनाथ राय जाति बंगाली, निवासी बंगाली कोलोनी, थाना गुमानपुरा, कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये पी पी

...रेस्पोंडेण्ट

उपस्थित : श्री अशोक चौधरी, अभिभाषक –अपीलार्थी

::निर्णय::

दिनांक 14.07.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 97/2017 सरकार बनाम समीर विश्वास पुत्र सुरेन्द्र राय अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2025 के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 6(1) अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष थानाधिकारी थाना गुमानपुरा, कोटा शहर के द्वारा इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत जिला पुलिस अधीक्षक शहर कोटा के माध्यम से गैर सायल समीर विश्वास पुत्र सुरेन्द्रनाथ राय जाति बंगाली, निवासी बंगाली कोलोनी, थाना गुमानपुरा, कोटा के विरूद्ध पेश कर कथन किया गया कि गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध 18 प्रकरण जुआ सट्टा, अवैध शराब व मादक पदार्थ के दर्ज है। जिससे समाज में आजमन एवं सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न हो गया है। समस्त प्रयासों के बावजूद भी गैर सायल अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। इसके बढ़ती हुई आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना अतिआवश्यक हैं।

2 अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 13 आरपीजीओ के 15 प्रकरणों में गैर सायल को न्यायालय द्वारा जुर्माना/दण्डित किया जाने से राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(5) में परिभाषित श्रेणी के अन्तर्गत "गुण्डा" साबित होना वर्णित करते हुए तदनुसार अन्तर्गत धारा 3

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 से 60 दिवस की अवधि के लिए कोटा जिले की सीमा से बदर कर थाना तालेड़ा, जिला बून्दी के लिए निष्काषित किये जाने का आदेश दिनांक 25.06.2025 पारित किया गया तथा दिनांक 27.06.2025 से 60 दिवस के लिए बूंदी जिले में थानाधिकारी, थाना तालेड़ा को प्रतिदिन अपनी उपस्थिति देने हेतु पाबंद किया गया।

3 अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.06.2025 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलय का आदेश न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी शांतिपूर्ण व्यक्ति है और शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवनयापन कर रहा है तथा मेहनत मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है। अपीलार्थी वर्ष 2017 से शांतिपूर्वक जीवनयापन कर रहा है, अपीलार्थी से किसी व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार की जान–माल का खतरा नहीं है व सन् 2017 के बाद अपीलार्थी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन थाना गुमानपुरा कोटा वालो ने बिना जांच किये बिना आस–पास के गवाहों के बयान लिये बिना पूछताछ के ही अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के आधार पर झूठी व असत्य रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी और अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिये बगैर ही उक्त आदेश पारित कर दिया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के विरूद्ध 13 आरपीजीओ के प्रकरण झूठे हैं तथा प्रकरण सं0 412/17 धारा 13 आरपीजीओ जो पेन्डिंग है झूठा है उक्त मुकदमे की वजह से ही अपीलार्थी को दोषी मान लिया है। मात्र थाना की रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी मेहनत मजदूरी करता है तथा अपीलार्थी का परिवार अपीलार्थी पर ही आश्रित है। ऐसी स्थिति में उनके पालन पोषण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अपीलार्थी के विरूद्ध 2017 से कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के निवास के आस–पास किसी प्रकार की जांच एंव पुछताछ नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.06.2025 को अपास्त फरमाया जावे।

4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी सुनी गई।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्ष 2017 से शांतिपूर्वक जीवनयापन कर रहा है तथा वर्ष 2017 के बाद अपीलार्थी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन थाना गुमानपुरा कोटा वालो ने बिना जांच किये बिना आस–पास के गवाहों के बयान लिये बिना पूछताछ के ही अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व दर्ज प्रकरणों के आधार पर अपीलार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिये बगैर ही उक्त आदेश पारित कर दिया अपीलार्थी मेहनत मजदूरी करता है तथा अपीलार्थी का परिवार अपीलार्थी पर ही आश्रित है। ऐसी स्थिति में उनके पालन पोषण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.06.2025 को अपास्त फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 13 आरपीजीओ के 15 प्रकरणों में गैर सायल को न्यायालय द्वारा जुर्माना/दण्डित किया जाने से राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(5) में परिभाषित श्रेणी के अन्तर्गत "गुण्डा" साबित होना वर्णित करते हुए तदनुसार अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 से 60 दिवस की अवधि के लिए कोटा जिले की सीमा से बदर कर थाना तालेड़ा, जिला बून्दी के लिए निष्काषित किये जाने का आदेश दिनांक 25.06.2025 पारित किया गया तथा दिनांक 27.06.2025 से 60 दिवस के लिए बूंदी जिले में थानाधिकारी, थाना तालेड़ा को प्रतिदिन अपनी उपस्थिति देने हेतु पाबंद किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलार्थी वर्ष 2017 से शांतिपूर्वक जीवनयापन कर रहा है तथा वर्ष 2017 के बाद अपीलार्थी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है अपीलार्थी मेहनत मजदूरी करता है तथा अपीलार्थी का परिवार अपीलार्थी पर ही आश्रित है। जिला बदर होने से उसके परिवार के पालन पोषण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध वर्ष 2004 से वर्ष 2017 तक 13 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज होना प्रकट होता है तथा उक्त प्रकरण में न्यायालय के द्वारा जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्रकट होता है। लेकिन वर्ष 2017 के उपरांत कोई नवीन प्रकरण अपीलार्थी के विरूद्ध बनना नहीं पाया गया है। साथ ही अपीलार्थी का कथन रहा है कि अपीलार्थी का परिवार अपीलार्थी पर ही आश्रित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के उपरोक्त कथन के संबंधं में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 97/2017 सरकार बनाम समीर विश्वास पुत्र सुरेन्द्र राय अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2025 अनुसार "दिनांक 27.06.2025 से निष्काषित 60 दिवस" की अवधि को संशोधित किया जाकर "दिनांक 27.06.2025 से निष्काषित अवधि 30 दिवस" किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

14/7/25

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा